न्यायालय– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इछावर (म0प्र0)
::(समक्ष–प्रकाश केरकेट्टा)

Registration No-RCSB/1/2018
Filing No-RCSA/9/2018
C.N.R.No-MP-37080000932018
Filing Date-03/01/2018

रामनारायण, उम्र–21 वर्ष, पिता नरसिंह,
निवासी, ग्राम–देहखेडी, तहसील इछावर,
जिला सीहोर, ...**वादी**

–:: विरूद्ध ::–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय सीहोर, म.प्र.
2. म0प्र0 विद्युत मण्डल द्वारा अधीक्षण यंत्री महोदय सीहोर, मंत्री पेट्रोल पम्प के पास सीहोर म.प्र.।
3. यू. बी. टेक कंपनी (निर्माण एजेंसी फरीदाबाद) (उ.प्र.) द्वारा ठेकेदार श्री रितेश चौहान पिता शंकरलाल चौहान निवासी–बडा बाजार इछावर, जिला सीहोर, म.प्र..**प्रतिवादीगण**

//निर्णय//

(आज दिनांक–13/09/19 को घोषित)

1– वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध क्षति–पूर्ति राशि 1,00,00,000/–रू. (एक करोड़ रूपये) के अनुतोष प्राप्ति बाबत् प्रस्तुत किया है।

2– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3– वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.012. 2016 को रविवार का अवकाश होने के कारण अपने गांव देहखेडी स्थित खेत पर प्रातः 10 बजे गया था, जहां पर निर्माणाधीन 11 के.व्ही. के विद्युत लाईन लापरवाही पूर्वक छोडे गये खतरनाक करेंट, जो खंबे की तान आम

रास्ते के समीप थी। उक्त खंबे की तान में सुरक्षा में लगने वाला चीनी मिटटी का गुटका नहीं लगा था और तान में करेंट प्रवाहित था। वादी खेत पर मवेशी–गाय को भगाते समय तान की चपेट में धोके से आ गया। दुर्घटना स्वरूप करेंट लगने से वादी का दांया भाग, बांया कंधा व गर्दन से जलकर, जख्मी होकर अचेत अवस्था में पडा था। गांव के अभिषेक पुत्र लीलाधर ने घटना देखा और गांव के ही जितेन्द्र पटेल, राधेश्याम, धरमसिंह, श्यामलाल और सुरेश पालखेडी वाले ने घटना देखा और उसे उठाकर इछावर अस्पताल पहुंचाया। पहले इछावर अस्पताल फिर सीहोर अस्पताल और उसके पश्चात हमीदिया अस्पताल भोपाल में ईलाज के लिए लेकर गये थे।

4– यह कि वादी इंजीनियरिंग का छात्र था। प्रतिवादीगण की लापरवाही से हुई दुर्घटना के कारण वादी की जान बच गई, परंतु दांहिना हाथ कटवाना पडा, उसका बांया हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। वादी स्थाई रूप से अपंग हो गया है, जिससे वादी के भविष्य और उसके पालन–पोषण की समस्या हो गई है। वादी के पिता द्वारा लोगों से कर्ज लेकर वादी के ईलाज में लाखों रूपये खर्च कर दिये हैं, जिनके ऋण वापसी भी किया जाना है। उक्त उपेक्षा पूर्ण–अपकृत्य की घटना के लिए मध्यप्रदेश शासन जवाबदार होकर वादी की क्षति की पूर्ति हेतु पूर्णरूपेण दायित्वाधीन है। इस संबंध में वादी ने शासन में व थाना इछावर में घटना की जानकारी लिखित में दी थी। शासन से आर्थिक सहायता व ईलाज की मांग की थी। कलेक्टर सीहोर को, विद्युत मण्डल के अधीक्षण यंत्री को दिनांक 06.04.17 का सूचना पत्र दिया, परंतु उसका कोई जवाब न मिला और न ही शासन की ओर से सहायता मिली।

5— वादी द्वारा वाद कारण घटना दिनांक 11.12.2016 से निरंतर चलकर दिनांक 10.06.2017 को उत्पन्न होना बताते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की घोर लापरवाही व अनावश्यक विद्युत करेंट छोडे जाने के कारण हुई घटना से वादी के कष्टमय, दुभर जीवन, उसके हाथ कटने के कारण सामाजिक सरोकारों की विफलता व मानसिक आघात एवं जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। ऐसे में प्रतिवादीगण से वादी की इंजीनियरिंग जीवन विफल होने की क्षति स्वरूप 40,00,000/—रूपये वादी के दांया हाथ से कंधा कट जाने व बांया कंधा अक्षम होने से जीवन भर की असुविधा पर कीमत 30,00,000/—रूपये, वादी की तमाम सामाजिक सरोकारों के विफल होने, आजीवन मानसिक प्रताडना एवं खर्च स्वरूप 30,00,000/—रूपये कुल योग्य 1,00,00,000/—रूपये (एक करोड रूपये) क्षति—पूर्ति दिलाई जावे।

6— प्रतिवादी क. 1 की ओर से वादी के वाद पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र में उल्लेखित व प्रार्थना खण्ड में उल्लेखित समस्त अभिवचनों को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी क. 1 की ओर से उक्त जवाबदावा के माध्यम से यह प्रकट किया है कि वादी का निर्माणाधीन 11 के.व्ही के विद्युत लाईन के आसपास कोई खेत या भूमि नहीं है। ऐसे में वादी का उक्त लाईन के पास जाने का प्रश्न नहीं होता। वादी द्वारा किसी तथाकथित लाईन के पास खुद जाकर खुद की लापरवाही से दुर्घटना कारित की है। ऐसे में वादी स्वयं घटना का उत्तरदायी है। यह भी व्यक्त किया कि संभवतः वादी विद्युत चोरी करने के उददेश्य से खंबे पर चढा हो और दुर्घटना हो गई हो। प्रतिवादी क. 1 मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की एक संस्था है, जो विद्युत वितरण का कार्य करती है। कार्य करने के दौरान होने वाले सभी कार्यकलापों के लिए स्वयं उत्तरदायी

रहती है। कार्य में होने वाले आय एवं व्यय के लिए भी उत्तरदायी रहती है। इस कारण मध्यप्रदेश शासन का उक्त वाद से कोई तालुक नहीं है। वादी द्वारा मिथ्या आधार पर, अपूर्ण मूल्यांकन द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त आपत्ति लेते हुए व्यक्त किया कि वादी के वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन की बाधा होने के कारण वाद प्रचलन योग्य नहीं है। अतः वादी का दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7— प्रतिवादी क्र. 2 की ओर से वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे में उल्लेखित समस्त अभिवचनों को अस्वीकार किया है तथा व्यक्त किया कि विद्युत लाईन के 4 पोल स्ट्रक्चर, शासकीय रास्ते एवं वादी के खेत से बहुत दूर कमलसिंह एवं उनके भाईयों के स्वामित्व के कृषि भूमि में लगे है। उक्त पोलों से वादी के निस्तार का कोई रास्ता या कृषि भूमि संलग्न नहीं है। पोलों के दोनों तरफ लगे स्टे में विधिवत इन्सुलेटर (चीनी मिटटी के गुटके) लगे हुए थे। वादी अनाधिकृत रूप से चोरी की नीयत से विद्युत के 4 पोल स्ट्रक्चर पर चढा, जिससे वादी के साथ दुर्घटना हुई। वादी द्वारा अपने अवैधानिक आपराधिक कृत्य को छुपाने व प्रतिवादी से अनुचित लाभ पाने के लिए मिथ्या, काल्पनिक, अवास्तविक आधारों पर दावा प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त कथनों में प्रकट किया कि वादी स्वयं प्रतिवादी क्र. 2 के विद्युत के 4 पोल स्ट्रक्चर पर अनाधिकृत रूप से चोरी की दुर्भावना से चढा था, जिससे वादी के शरीर के वहां पर टकराने के कारण जलने के कुछ चिन्ह 4 पोल स्ट्रक्चर पर मौजूद हैं। वादी द्वारा घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है और जानबूझकर मिथ्या घटना गड़ते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन किया कि वादी का दावा निरस्त किया जावे।

8— प्रतिवादी क्र. 3 की ओर से वादी के वादपत्र का लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे में उल्लेखित समस्त अभिवचनों को अस्वीकार किया है तथा व्यक्त किया कि प्रतिवादी क्र. 3 एवं उसकी कंपनी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं लायसेंसधारी है। विगत कई सालों से उसकी कंपनी विद्युत पोल एवं लाईन डालने का कार्य कर रहा है। उसके द्वारा घटना दिनांक तक कोई लापरवाही नहीं की गई थी। प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा वादी के खेत के पोल तक का तार डालने का कार्य दिनांक 06.12.2016 तक पूर्ण कर विद्युत लाईन (करंट प्रवाह) चालू करने की अनुमति विद्युत कार्यालय इछावर से ग्राम अमलारामजीपुरा के फीडर से प्राप्त कर ली थी। वादी अपने खेत पर स्थित पोल से तार चोरी करने के उददेश्य से पोल पर चढा था और वादी की लापरवाही के कारण करेंट के चपेट में आ गया था। इसमें प्रतिवादी क्र. 3 एवं विद्युत मण्डल की कोई लापरवाही नहीं है। घटना के पश्चात मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारियों ने स्थल निरीक्षण एवं पंचनामा बनाया था और ग्राम वासियों के हस्ताक्षर कराये थे।

09— यह कि वादी पूर्ण साधन संपन्न व्यक्ति है, उसके पास और उनके परिवार वालों के पास कई एकड सिचिंत कृषि भूमि है। वादी व्यवसाय करता है, लेकिन अनुचित रूप से प्रतिवादीगण से रूपये ऐंठना चाहता है। वादी का वादपत्र अवधि बाह्य होने से निरस्ती योग्य है। वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन किया कि वादी का वाद निरस्त किया जावे।

10— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वादप्रश्न की विरचना की गई जिन पर प्रमाण लिये जाकर निकाले गए निष्कर्ष उनके सम्मुख दिये जा रहे है :—

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादीगण क. 1 लगायत 3 के लापरवाही पूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप ग्राम देहखेडी में निर्माणाधीन 11 के.व्ही. की विद्युत लाईन में प्रवाहित करेंट के झुलसने से वादी को स्थाई अपंगता कारित हुई ?	''साबित है''
2.	क्या वादी उक्त उपेक्षा पूर्ण अपकृत्य के परिणाम स्वरूप स्वयं को हुई शारीरिक हानि एवं मानसिक पीडा के लिए क्षति पूर्ति के रूप में प्रतिवादीगण से 1 करोड़ रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है ?	''साबित है'
3.	क्या वादी के वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है ?	''साबित नहीं''
4.	क्या वादी द्वारा दुर्घटना के वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मिथ्या आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है?	''साबित नहीं''
5	सहायता एवं व्यय ?	निणर्य चरण क. 49 के अनुसार

–:: सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष ::–

वादप्रश्न क0–1 व 2

11– तथ्य की पुनरावृत्ति से बचने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है–

12— उक्त वाद प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार वादी पक्ष को है। वादी साक्षी रामनारायण वा0सा0—1 ने अपने शपथ पत्र कथन में प्रकट किया कि वर्ष 2016 में वह अमलाहा के कॉलेज में इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र था। दिनांक 11.12.2016 को रविवार का अवकाश होने के कारण वह अपने घर ग्राम देहखेडी आया था। उक्त दिनांक को वह अपने गांव के मेड़ पडोसी अभिषेक के साथ प्रातः 9:30 बजे लगभग खेत की फसल देखने साथ गया था। वादी के खेत में लगी फसल में गाय चर रही थी। तब वादी उसे भगाने लगा। वादी गाय की पूंछ पकडे हुए खेत से दूर भगा रहा था। लगभग 60—70 फिट दूरी पर आम रास्ते के बगल में नवनिर्माणाधीन, अल्पनिर्मित विद्युत लाईन के खंबे के बगल से व स्टे की तान के नीचे की पगडण्डी से गाय निकली थी। गाय तो निकल गई, लेकिन उसका दांया कंधा अचानक स्टे की तान से टकरा गया। उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा था।

13— साक्षी रामनारायण वा0सा0—1 ने यह भी कथन किया कि घटना के 3 दिन बाद उसे होश आया था और उसे मालूम पडा की उसका एक हाथ नहीं है और दूसरा हाथ व कंधा भी काम नहीं कर रहा है। साक्षी ने अपने कथन में स्पष्ट किया कि बिजली के तान में चीनी मिटटी का विद्युत अवरोधक गुटका नहीं लगा था तथा खंबे पर तार उक्त तान को छूते हुए लिपटे थे, जिसमें लापरवाही पूर्वक विद्युत करेंट प्रवाहित हो रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी।

14— वादी रामनारायण वा0सा0—1 ने अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज के रूप में कलेक्टर को दिये गये सूचना पत्र दिनांक 06.04.2017 की मूल प्रति प्र.पी. 1 सहित सूचना पत्र की डाक रसीद प्र.पी. 2 एवं प्राप्ति

अभिस्वीकृति प्र.पी. 3 पेश की है। इसके अलावा अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सीहोर को एवं कलेक्टर सीहोर को दिये गये सूचना पत्र की डाक रसीद प्र.पी. 4 एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र.पी. 5 पेश की है।

15— वादी रामनारायण वा0सा0—1 ने अन्य दस्तावेजों के रूप में स्वयं के ईलाज के संबंध में गांधी मेडिकल कालेज भोपाल का एम.एल.सी रिपोर्ट की मूल प्रति प्र.पी. 6, स्वयं के स्थाई निशक्तता प्रमाणित प्रतिलिपि की मूल प्रति प्र.पी. 7, जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्र.पी. 8, कक्षा 12वी की अंकसूची की मूल प्रति प्र.पी. 9, ग्राम अमलाहा स्थित पॉलिटेक्निक कालेज की एडमिशन स्लिप प्र.पी. 10, आधारकार्ड प्र.पी. 11 एवं उसकी छायाप्रति प्र.पी. 11सी तथा फोटोग्राफ आर्टिकल ''ए'' पेश की है।

16— वादी रामनारायण वा0सा0—1 ने अपने पक्ष समर्थन में साक्षी अभिषेक वा0सा0—2, सुरेश ब्रिगोदिया वा0सा0—3, अनुसुईया बाई वा0सा0—4 एवं नरसिंह वा0सा0—5 के कथन कराये हैं। साक्षी अभिषेक वा0सा0—2 ने स्पष्ट किया कि दिनांक 11.12.2016 को वह भी छुटटी के दिन होने के कारण घर आया था और वादी के साथ फसल देखने के लिए 9:30 बजे लगभग खेत पर पहुंचा था। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि वादी उससे 70—80 फिट आगे स्वयं के खेत की फसल में चर रही गाय को भगाने के लिए उसके पीछे—पीछे दौडा। खेत के बाहर थोडी दूर पर गड़े हुए नवनिर्माणाधीन विद्युत लाईन के 4 खंबे के पास आम रास्ते के बगल की पगडंडी से गाय भागती जा रही थी, पीछे रामनारायण गाय की पूंछ पकडे भाग रहा था।

17— साक्षी अभिषेक वा0सा0—2 ने यह भी कथन किया कि 4 खंबे के पास अचानक तडड—तडड और भटाभट की आवाज के साथ धुंआ उठा

और रामनारायण नीचे गिर गया था। जब वह मौके पर पहुंचा तो रामनारायण मुर्छित अवस्था में उक्त खंबे की स्टे की तान के नीचे पडा था। उक्त तान में विद्युत रोधी चीनी मिटटी का गुटका नहीं था। रामनारायण के दोनों कंधों बहुत जख्म थे और जलने के निशान थे। रामनारायण का सीधा हाथ पूरा काला पड गया था। तब उसके चिल्लाने पर गांव के लोग आ गये थे और रामनारायण को उठाकर अस्पताल लेकर गये थे। इस साक्षी ने बताया कि घटना के बाद भी बिजली के खंबे पर लिपटे तारों में से विद्युत करेंट के प्रवाहित होने की सनन–सनन और तडड–तडड जैसी आवाज आ रही थी।

18– साक्षी सुरेश ब्रिगोदिया वा0सा0–3 ने कथन किया कि वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत मोलगा व चैनपुरा में शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण का ठेका लिया था। रविवार दिनांक 11.12.2016 को प्रात 10 बजे वह ग्राम मोलगा व चैनपुरा जाने के लिए ग्राम देहखेडी के पास से निकलकर जा रहा था। तो चिल्लाचोट की आवाज सुनकर घ टना स्थल पर गया था। मौके पर रामनारायण को मुर्छित अवस्था में अधजला पडा हुआ देखा था। मौके पर उपस्थित लोगों ने पंचनामा बनाया था और रामनारायण को अस्पताल पहुचवाया था।

19– साक्षी सुरेश ब्रिगोदिया वा0सा0–3 ने यह भी कथन किया कि मौके पर उसने अल्पनिर्मित नवनिर्माणाधीन विद्युत की बडी लाईन के 4 खबों पर विद्युत तार लिपटे हुए देखा था, जिसमें छूती हुई स्टे की तान तिरछी लगी थी, जिसमें विद्युत करेंट अवरोधी चीनी मिटटी का गुटका नहीं लगा था और उक्त खंबों से करेंट की सनन–सनन की आवाज आ रही थी।

20– साक्षी अनसुईया बाई वा0–सा0–4 ने भी उक्त साक्षियों के कथनों का समर्थन करते हुए बताया कि दिनांक 11.12.16 रविवार को 9 से 10 बजे के मध्य लगभग उसने और गांव के अन्य लोगों ने नरसिंह के खेत पर उसके लडके रामनारायण को बिजली के करेंट लगने से जला हुआ घ ाायल अधमरा पडा हुआ देखा था और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। इस साक्षी ने भी बताया कि नरसिंह के खेत के पास आम रास्ते की बगल में बिजली की लाईन के खंबें गड़े थे। लाईन का तार खंबे की स्टे की तान, से लगकर छू रहा था। स्टे की तान के बीच में लगने वाला विद्युत रोधी चीनी मिटटी का गुटका नहीं लगा था। इस कारण रामनारायण गाय को भगाते–भगाते बिजली के करेंट, जो कि तान में करेंट होने से उसकी चपेट में आने के कारण जल गया था।

21– साक्षी नरसिंह वा0सा0–5 ने कथन किया कि घटना के बाद रामनारायण को अधमरी हालत में उठाकर इछावर अस्पताल लेकर गये थे। जहां से सीहोर अस्पताल और सीहोर से हमीदिया अस्पताल भोपाल भर्ती कराया गया था। उक्त ईलाज के दौरान आहत रामनारायण का दाहिना हाथ काटा गया था, तथा दूसरा कंधा भी जलने के दौरान ठीक से काम नहीं करता था। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त घटना के संबंध में थाना इछावर में प्र.पी. 12 की लिखित रिपोर्ट की थी तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील इछावर को प्र.पी. 13 का आवेदन दिया था।

22– खण्डन साक्ष्य में प्रतिवादी साक्षी योगेश साहू प्रति0सा0–1 ने कथन किया कि वादी ने मिथ्या आधार पर आरोप लगाकर विद्युत कंपनी को पक्षकार बनाकर क्षति पूर्ति की मांग की है। दिनांक 11.12.2016 को

विद्युत विभाग द्वारा विवादित 4 स्ट्रक्चर पोल पर विद्युत वितरण ही प्रांरभ नहीं किया गया था। विद्युत कंपनी के कुछ व सक्षम विशेषज्ञ अधिकारी की व ठेकेदार की उपस्थिति व निर्देशन में विद्युत लाईन का भौतिक सत्यापन कर विधिवत पूर्ण पाये जाने पर दिनांक 22.01.17 को विधिवत विद्युत प्रवाह प्रांरभ किया गया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया कि वादी घटना दिनांक को न तो विभाग का कर्मचारी था और न ही किसी कार्य करने के लिए अधिकृत था।

23— साक्षी योगेश साहू प्रति0सा0—1 ने उक्त साक्ष्य के समर्थन में जिला विद्युत कार्यालय सीहोर से 100 प्रतिशत कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्र.डी. 1 पेश की है, इसके अलावा अन्य दस्तावेज के रूप में एन.ए. बी.एल. टेस्टिंग सर्टिफिकेट प्र.डी. 2 तथा मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट प्र. डी. 3 पेश की है।

24— साक्षी रितेश चौहान प्रति0सा0—2 ने कथन किया कि घटना स्थल पर सीमेंट के पोल पर लाईन डालने का कार्य दिनांक 06.12.2016 तक पूर्ण कर लिया गया था। विद्युत विभाग के इंजीनियर द्वारा विद्युत लाईन निर्माण से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण कर अवलोकन कर लिया गया था। जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी या लापरवाही नहीं थी। विद्युत तकनीकि कर्मचारियों द्वारा लाईन की टेस्टिंग का कार्य नहीं किया गया था। अमलारामजीपुरा फीडर में विद्युत लाईन तकनीकि समस्या उत्पन्न होने से एवं उपकरण न होने से विद्युत लाईन में विद्युत प्रवाह नही किया गया था। इस प्रकार घटना दिनांक को या उससे पहले मौके पर विद्युत लाईन या किसी प्रकार का कोई करेंट प्रवाह नहीं था।

25— जिरह के दौरान प्रतिवादी रितेश चौहान प्रति0सा0—2 ने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका–7 में स्वीकार किया कि घटना से पहले जब काम किया था, तो बिजली के खंबे में तान और तार के साथ चीनी का गुटका लगाया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–8 में स्पष्ट किया कि वह घटना वाली जगह पर घटना के एक दिन पहले गया था। इस साक्षी ने करेंट की घटना होना बताया है, लेकिन घटना के बाद मौके पर जाने से इंकार किया है।

26– अपकृत्य या टॉर्ट फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आंग्ल अर्थ अपकार एंव रोमन भाषा में इसे दोष कहते हैं। कामन लॉज ए.रजिस्टर्ड सोसायटी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, ए.आई.आर. 1999 सुप्रीम कोर्ट 2979 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी टॉर्ट शब्द की ऐसी परिभाषा अपनाई है। इसका अर्थ संविदा से भिन्न किसी अन्य कर्तव्य का भंग होना, जिससे कोई दीवानी वाद का कारण उत्पन्न होता हो तथा क्षतिपूर्ति की वसूली की जा सकती हो। सामान्य शब्दो में अपकृत्य का अर्थ संविदा से भिन्न ऐसा सिविल अपकार, जिसके लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का वाद लाना ही उपर्युक्त कार्यवाही है। अपकृत्य दायित्व मूलतः विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के भंग होने से उत्पन्न होता है, जो जन समुदाय के प्रति होता है।

27– अपकृत्य के गठन के लिए दोषपूर्ण कृत्य का होना आवश्यक है, जिसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों कृत्य शामिल हैं। किसी कार्य को करते समय कुछ करने में असफल रहना लोप नहीं है, किन्तु यह कार्य करने का गलत तरीका है। सामान्यतः लोप के लिए विधि किसी दायित्व की रचना नहीं करती है, परंतु यदि लोप में दायित्व तब होता है, जब कार्य करने का कर्तव्य हो।

28– जिरह के दौरान प्रतिवादी क्र. 2 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की ओर से वादी रामनारायण वा0सा0–1 को स्वयं के लापरवाही संबंधी सुझाव दिया है तथा विद्युत पोल के पास जाना और उसे छूना प्रतिबंधित बताते हुए आहत रामनारायण को क्षतिपूर्ति पाने योग्य नहीं माना है। इसके अलावा घटना के समय गाय भगाते समय गाय को विद्युत प्रवाहित तान से करेंट न लगकर आहत रामनारायण को ही करेंट लगने के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाया है। जबकि साक्षी रामनारायण वा0सा0–1 ने जिरह के दौरान प्रकट किया कि वह गाय की पूंछ पकडे हुए था। गाय की पूंछ बालों से भरी होने के कारण सामान्यतः उसमें करेंट प्रवाहित नहीं होता। ऐसे में आहत रामनारायण के विद्युत के तान पर टकराने से स्वयं को ही करेंट लगना कहा जा सकता है।

29– साक्षी अभिषेक वा0सा0–2 घटना के समय अपने खेत पर, जो रामनारायण के खेत की मेढ़ से लगी हुई थी, पर लगभग 70–80 फिट दूर था। इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसके खेत के बाहर थोडी दूर पर नवनिर्माणाधीन विद्युत लाईन के 4 खंबे के पास विद्युत स्टे की तान अर्थात खंबे को सहारा देने वाली तार, जो जमीन में गड़ी हुई थी। यह भी स्पष्ट किया कि उक्त खंबे की स्टे की तान में विद्युत रोधी चीनी का गुटका नहीं लगा था। जिसके कारण उक्त तान में करेंट प्रवाहित था। उसी तान पर गाय के साथ भागते हुए रामनारायण के टकरा जाने के कारण घटना हुई थी।

30– जिरह के दौरान साक्षी अभिषेक वा0सा0–2 ने स्पष्ट किया कि विद्युत बिजली के खंबे एवं स्टे की तान के बीच में पगडण्डी का रास्ता था, तो इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि उक्त पगडण्डी का

उपयोग सामान्यतः मवेशियों द्वारा किया जाता था। उक्त तारतम्य में गाय भी खेत से भागते हुए पगडण्डी से निकली और उसी पगडण्डी के बगल में लगे स्टे की तान से रामनारायण टकराया था, जिसमें विद्युत विभाग की लापरवाही से करेंट प्रवाहित हो रहा था।

31— साक्षी अभिषेक वा0सा0—2, साक्षी सुरेश वा0सा0—3 एवं साक्षी अनसुईया बाई वा0सा0—4 ने स्पष्ट कथन किया कि घटना के समय विद्युत लाईन के स्टे की तान में लगने वाला विद्युत रोधी चीनी मिटटी का गुटका नहीं लगाया था। घटना के समय जब रामनारायण को बिजली का करेंट लगा था, तब विद्युत खंबे पर लिपटे तार से चडड—चडड और सनन—सनन की आवाज आ रही थी। मौके की स्थिति देखा जावे तो, वहां पर अंतिम विद्युत की लाईन 11 के.व्ही. का होकर खंबे पर अंतिम वायरों के रूप में लिपटे हुए थे। उक्त बिजली के लाईन के खंबे पर लिपटे हुए तार खंबे की स्टे की तान को छू रहे थे, जिससे स्टे की तान पर भी विद्युत प्रवाह था। उक्त तथ्यों के संबंध में साक्षीगण अभिषेक वा0सा0—2, सुरेश वा0सा0—3 एवं अनसुईया बाई वा0सा0—4 के कथन जिरह के दौरान स्थिर एवं पूर्णतः अखण्डित रहे हैं।

32— प्रतिवादी पक्ष की ओर से रामनारायण वा0सा0—1 को यह सुझाव दिया कि गाय भगाते समय वह देख नहीं पाया और असावधानीवश तान से टकरा गया था। परंतु नवनिर्माणाधीन विद्युत के खंबे पर 11 के.व्ही. के विद्युत तार पर विद्युत प्रवाह करने में सावधानी विद्युत विभाग को थी न कि आहत रामनारायण को। प्रतिवादी साक्षी योगेश साहू प्रति0सा0—1 ने मौके पर सीमेंट पोल/4 स्ट्रक्चर पोल/लाईन विद्युत विभाग/कंपनी द्वारा उसके निर्माण करे रहे ठेकेदार द्वारा की जाना बताया है, परंतु घटना

दिनांक 11.12.2016 को उक्त 4 स्ट्रक्चर पोल पर विद्युत वितरण प्रांरभ नहीं करना बताया है। अपितू दिनांक 22.01.2017 से विद्युत प्रवाह प्रांरभ करना बताया है। लेकिन जिरह के दौरान इस साक्षी ने बताया है कि वह विद्युत कार्यालय इछावर में जून 2017 से पदस्थ है। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को 4 स्ट्रक्चर पोल पर विद्युत प्रवाह होने या न होने के संबंध में उक्त साक्षी के कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

33— प्रतिवादी साक्षी रितेश चौहान प्रति0सा0—2 के कथन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा दिनांक 06.12.2016 तक अमलारामजीपुरा से देहखेडी तक बिजली लाईन बिछाने का काम पूरा कर लिया था। ऐसे में घटना स्थल तक बिजली के खंबे और उसमें विद्युत तार लगे होने की पुष्टि होती है। इस साक्षी ने आमला फीडर से विद्युत लाईन चालू नहीं होना बताया है। लेकिन प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 3 के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि दिनांक 05.01.2017 को ग्राम देहखेडी तक निर्माणाधीन विद्युत लाईन में विद्युत प्रवाह छोडे जाने की टेस्टिंग सर्टिफिकेट दी गई थी, अर्थात विद्युत प्रवाह की अनुमति दी गई थी।

34— प्रतिवादी साक्षी रितेश चौहान प्रति0सा0—2 द्वारा घटना दिनांक 11.12.2016 को आहत रामनारायण वा0सा0—1 के साथ अन्य स्थान पर हुई दुर्घटना और अनुचित लाभ के लिए मिथ्या विद्युत लाईन में करेंट होने का लाभ लेकर दावा प्रस्तुत करना बताया है। परंतु उक्त बचाव इसलिए मान्य नहीं की जा सकती कि, मौके पर/घटना स्थल पर आहत रामनारायण झूलसा हुआ पाया गया था। उक्त स्थल पर से ही विद्युत प्रवाहित और बिना स्टे की तान पर चीनी मिटटी का विद्युत अवरोधक गुटका नहीं होने पर तथा तान को छूते हुए लिपटे तार के संपर्क में आने

के कारण रामनारायण को शारीरिक क्षति हुई।

35— मौके पर रविवार का अवकाश होने के कारण साक्षी अभिषेक वा0सा0—2 भी थोडी दूर पर उपस्थित था, जिसने मौके पर घटना के समय साक्षी सुरेश वा0सा0—3, साक्षी अनसुईया बाई वा0सा0—4 सहित गांव के कई लोगों ने रामनारायण को बिजली के करेंट लगने से जला हुआ घायल व अधमरा देखा था। इन साक्षीगण ने स्पष्ट बताया कि स्टे की तान के पास आहत रामनारायण गिरा पडा था। उसके दांया हाथ, गर्दन व बांया हाथ भी जल गये थे। तब उन्होंने रामनारायण को उठाकर ईलाज हेतु अस्पताल लेकर गये थे।

36— उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्राम देहखेडी स्थित घटना स्थल पर 4 स्ट्रक्चर विद्युत के खंबे लगे थे और उसके सहायता देने वाले स्टे की तान जमीन पर गड़े हुए थे, जिसमें घटना के समय विद्युत प्रवाह हो रही थी। प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्षीगण को यह सुझाव देकर घटना के दायित्व से बचने का प्रयास किया गया कि खंबे और तान को छूकर किसी ने नहीं देखा था। परंतु सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, जो भले ही ग्रामीण परिवेश के हों, यदि विद्युत तारों से सनन—सनन या चडड—चडड की आवाज आ रही हो तो, उसे विद्युत प्रवाह होने की सामान्य उपधारणा की जा सकती है।

37— प्रतिवादीगण द्वारा जिरह के दौरान एवं जवाबदावा के माध्यम से वादी रामनारायण वा0सा0—1 पर यह दोषारोपण लगाने का प्रयास किया गया कि आहत रामनारायण विद्युत चोरी करने के उददेश्य से खंबे पर चढा था। परंतु मौके पर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं पाई गई कि भूलवश या अन्य कार्य करने के लिए आहत रामनारायण खंबे पर चढने का प्रयास

किया हो। आहत रामनारायण बिजली के स्टे की तान के पास जला हुआ अधमरा पडा था, जो बिजली की खंबे से लगभग 15 फिट दूर जमीन पर गड़ी हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर घटना के पश्चात लापरवाही पूर्ण कृत्य से बचने के लिए परिवर्तन करने का प्रयास किया गया।

38— अतः उपरोक्त साक्ष्य से स्थापित है कि मौके पर आहत रामनारायण विद्युत विभाग अर्थात मध्यप्रदेश शासन का एक उपक्रम है, के द्वारा दिनांक 06.12.2016 तक तार डालने का कार्य पूर्ण कर उसमें विद्युत प्रवाह किया था। जिसकी अनुमति विद्युत कार्यालय इछावर से ग्राम अमलारामजीपुरा के फीडर से प्राप्त कर ली गई थी। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी क्र. 3 यू.बी.टेक कंपनी के ठेकेदार द्वारा जवाबदावा में की है।

39— न्यायदृष्टांत—**''मांगीलाल बनाम डिवीजनल इंजिनियर एम.पी.एस.ई.बी., 2010 (2) मध्यप्रदेश वीकली नोट 85''** में अवधारित हुआ है कि विद्युत मण्डल से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह विद्युत लाईनों का कालिक परीक्षण किया करे व दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में सभी सुरक्षात्मक उपायों को अपनाये। विद्युत मण्डल अपनी लाईनों का इस प्रकार रख—रखाव करे कि, इससे जीवन व संपत्ति, जो कि आम जनता की हो, वह संरक्षित हो सके। वर्तमान मामले में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के द्वारा भी फेंसिंग संबंधी/चीनी गुटका या उचित तौर पर रख—रखाव नहीं किया गया था।

40— न्यायदृष्टांत—**''एम.पी.इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम सेलकुमार, ए.आई.आर. 2002 सुप्रीम कोर्ट 551''** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्भरता व्यक्त की गई कि विद्युत मण्डल को इस आशय की प्रतिरक्षा लेने का अधिकार नहीं माना गया कि कतिपय व्यक्ति ने अपनी निजी

संपत्ति के लिए विद्युत उर्जा को गबन (Siphoned) किया था और विद्युत आघात ऐसी डायवर्डेट लाईन से हुआ था। अतः विद्युत मण्डल को सुरक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व था, ताकि वैधानिक नियमों के अनुसार इसे प्रभावी किया जा सके। अतः केवल और सिर्फ केवल मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप आहत रामनारायण वा0सा0—1 को स्थाई अपंगता हुई।

41— अपकृत्य में क्षति एक अनिवार्य तत्व है, इस परिपेक्ष्य में क्षति का अर्थ है अन्य के किसी गलत कार्य के परिणामस्वरूप कोई हानि उठाना या इसकी उपधारणा करना, जो धनराशि ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए दिलाई जाती है, उसे नुकसानी या क्षतिपूर्ति कहते हैं। विधिक क्षति का अर्थ धन, सुख, आराम, सेवा, स्वास्थ्य संबंधी इसी प्रकार की अन्य सारवान हानि है। हानिकारक कृत्य का अर्थ अपकृत्यपूर्वक कार्य, जिसे स्वैच्छिक या विद्वेषपूर्ण होना जरूरी नहीं है, किन्तु मात्र दुर्घटनावश होते हुए भी यदि यह अपकृत्य पूर्ण है, तो कार्यवाही करना मान्य होगा।

42— विधि द्वारा अपकृत्य में क्षतिपूर्ति आंकलन का कोई मापदण्ड नहीं रखा गया है। सामान्य विधि का कथन है कि संविदा भंग या अपकृत्य विधि के लिए जो क्षतिपूर्ति देय है, वह जहां तक हो सके धन द्वारा पूर्ति की जावे, क्षति प्राप्त व्यक्ति दोषपूर्ण कृत्य के लिए राहत महसूस कर सके। कामन लाज, ए.रजिस्टर्ड सोसायटी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, ए.आई. आर. 1999 सुप्रीम कोर्ट 2979 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्दो में नुकसानी की धनराशि, जो किसी अपकृत्य के प्रकरण में दी जा सकती है, वह क्षतिपूर्ति होती है।

43— अतः वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य

से यह प्रमाणित है कि ग्राम देहखेडी स्थित घटना स्थल आर्टिकल ''ए'' के फोटो अनुसार मौके पर विद्युत विभाग द्वारा निर्माणाधीन 11 के.व्ही. की विद्युत लाईन में लापरवाही पूर्ण कृत्य द्वारा करेंट प्रवाहित किया। विद्युत लाईन में तार को लापरवाही पूर्वक लपेटा गया था, जो स्टे की तान से छू रही थी। मौके पर आहत रामनारायण को स्टे की तान में प्रवाहित करेंट के सम्पर्क में आने से आहत रामनाराण को स्थाई अपंगता कारित हुई। अतः वादप्रश्न क. 1 व 2 का निराकरण **''साबित है''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>वादप्रश्न क. 3</u>

44– उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीपक्ष को है। प्रतिवादी क. 1 मध्यप्रदेश शासन की ओर से वादोत्तर की कंडिका 13 में यह आपत्ति उठाई गई कि वादी द्वारा मध्यप्रदेश शासन को अनावश्यक रूप से प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। इस कारण वाद में पक्षकारों की कुसंयोजन की बाधा होने के कारण वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

45– इस संबंध में प्रतिवादी क. 1 मध्यप्रदेश शासन की ओर से मौखिक साक्ष्य द्वारा अन्यथा साबित नहीं किया जा सका कि मध्यप्रदेश शासन को अनावश्यक पक्षकार बनाया है, जबकि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, मध्यप्रदेश शासन का एक उपक्रम है। ऐसे में वादप्रश्न क. 3 का निराकरण **''साबित नहीं''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>**वादप्रश्न क्र.–4**</u>

46– उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पक्ष को है। प्रतिवादी क्र. 1 व 2 द्वारा अपने वादोत्तर में आपत्ति ली है कि वादी विद्युत के 4 पोल स्ट्रक्चर पर अनाधिकृत रूप से चोरी की दुर्भावना से चढा था। उक्त पोल पर वैधानिक चेतावनी ''खतरा'' की तख्ती लगी थी, लेकिन वादी स्वयं के आपराधिक कृत्य के परिणाम स्वरूप हुए दुर्घटना को छुपा कर मिथ्या, काल्पनिक एवं अवास्तविक आधारों पर दावा प्रस्तुत किया है।

47– उक्त तथ्यों के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वादी का कृत्य आपराधिक स्वरूप का था। घटना स्थल पर ऐसी कोई परिस्थितियां या चिन्ह नहीं पाये गये, जिससे प्रकट हो कि आहत रामनारायण विद्युत पोल के उपर तार तक गया था, जहां स्वयं के कृत्य से घटना हुई हो। इस संबंध में न्यायदृष्टांत–<u>**''छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम तेरस बाई, 2008 (4) एम.पी.एच.टी. 15''**</u> पर निर्भरता व्यक्त की गई कि किसी व्यक्ति के द्वारा विद्युत चोरी के कारण होने वाले किसी दुर्घटना के लिए विद्युत मण्डल पूरी तौर पर जिम्मेदार/दायी होगा। अतः वादप्रश्न क्र. 4 का निराकरण **''साबित नहीं''** के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

<u>**वाद प्रश्न क0–5 सहायता एवं व्यय :–**</u>

48– अतः वादी द्वारा अपने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी क्र. 2 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सीहोर (मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

सीहोर), जो कि वादी रामनारायण के प्रति हुए अपकृत्य/विद्युत आघात का एक मात्र दायी है। ऐसे में वादी रामनारायण, जो घटना के समय प्र.पी. 8 के अनुसार अनुसूचित जाति का, प्र.पी. 10 के अनुसार पॉलिटेक्निक कालेज का छात्र रहा था। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सीहोर के लापरवाही पूर्ण कृत्य से वादी रामनारायण को प्र.पी. 6 व 7 के अनुसार स्थाई अपंगता प्रमाणित हुई है।

49— अतः प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए यह पाया जाता है कि वादी, प्रतिवादी क. 2 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सीहोर से मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति—पूर्ति के रूप में 30,00,000/—रूपये (तीस लाख रूपये) प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण प्र.पी. 1, प्र.पी. 12 एवं प्र. पी. 13 के आवेदन पर सुनवाई न करते हुए आहत रामनारायण के प्रति उदासीन रहे थे, आहत को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। ऐसे में वादी रामनारायण, प्रतिवादीगण क. 1 लगायत 3 से विशेष हर्जाना 5,00,000/—रूपये (पांच लाख रूपये) अतिरिक्त पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण स्वयं सहित वादी का वाद व्यय भी वहन करेंगे। अतः वादी का वाद स्वीकार कर, वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती हैः—

1— यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी क. 2 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सीहोर, वादी रामनारायण को 30,00,000/—रूपये (तीस लाख रूपये) क्षति—पूर्ति के रूप में 3 माह की अवधि में प्रदाय करेगा।

2— यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3, वादी रामनारायण को विशेष हर्जाना के रूप में 5,00,000/—रूपये (पांच लाख रूपये)

अतिरिक्त 3 माह की अवधि में प्रदान करेंगे।

3— यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को आदेशित किया जाता है कि वादी रामनारायण को निर्णय दिनांक 13.09.2019 से कुल रकम 35,00,000/—रूपये (पैंतीस लाख रूपये) अदा होने के दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करेंगे।

4— प्रतिवादीगण स्वयं का तथा वादी का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

5— अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जो न्यून हो, अंकित किया जावे।

तद्अनुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(प्रकाश केरकेट्टा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त,
न्यायाधीश, इछावर, जिला सीहोर

(प्रकाश केरकेट्टा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
सीहोर के न्यायालय के अतिरिक्त,
न्यायाधीश, इछावर, जिला सीहोर

PRAKASH KERKETTA
Digitally signed by PRAKASH KERKETTA
Date: 2019.09.13 16:36:56 +05'30'

PRAKASH KERKETTA
Digitally signed by PRAKASH KERKETTA
Date: 2019.09.13 16:37:14 +05'30'